



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 75] प्रयागराज, शनिवार, 25 सितम्बर, 2021 ई० (आश्विन 3, 1943 शक संवत्) [संख्या 39

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा	विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु०			रु०
भाग 1—विज्ञप्ति—अवकाश, नियुक्ति, स्थान—नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	713—724	3075	भाग 4—निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	..	975
भाग 1—क—नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	1379—1380	1500	भाग 5—एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश	..	975
भाग 1—ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय			भाग 6—(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये		975
भाग 1—ख (2)—श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय			(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 2—आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	..	975	भाग 6—क—भारतीय संसद के ऐक्ट		975
भाग 3—स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड क—नगरपालिका परिषद्, खण्ड ख—नगर पंचायत, खण्ड ग—निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ—जिला पंचायत	83—86	975	भाग 7—(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		
			(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
			भाग 7—क—उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट		975
			भाग 7—ख—इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	..	
			भाग 8—सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	735—739	975
			स्टोर्स—पंचेज विभाग का क्रोड़ पत्र	..	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

सचिवालय प्रशासन विभाग

[अधिष्ठान]

अनुभाग-1

स्थानान्तरण/तैनाती

29 जुलाई, 2021 ई०

फाइल सं० 20-1001/3/2020-1—तात्कालिक प्रभाव से श्री शिवाजी सिंह, संयुक्त सचिव, सहकारिता विभाग को एतद्द्वारा स्थानान्तरित करते हुये संयुक्त सचिव, संसदीय कार्य विभाग के पद पर तैनात किया जाता है।

2—श्री शिवाजी सिंह, संयुक्त सचिव को निर्देशित किया जाता है कि वह नवीन तैनाती/आवंटित विभाग में तत्काल योगदान आख्या प्रस्तुत करें।

आज्ञा से,
ए० पी० सिंह,
संयुक्त सचिव।

औद्योगिक विकास विभाग

अनुभाग-4

शुद्धि-पत्र

28 अगस्त, 2021 ई०

सं० 4737(1)/77-4-21-88एन०/21—शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 4737/77-4-21-88एन०/21, दिनांक 26 अगस्त, 2021 द्वारा नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण में लेखाकार के पद पर कार्यरत स्व० कालीचरण की मृत्यु होने के फलस्वरूप मृतक आश्रित कोटे के अन्तर्गत श्री समर्थ कुमार को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति प्रदान किये जाने का आदेश निर्गत किया गया था। उक्त निर्गत आदेश के प्रस्तर-1(4) में त्रुटिवश श्री समर्थ कुमार के स्थान पर श्री प्रशान्त टंकित हो गया है।

2—तदनुसार उक्त कार्यालय ज्ञाप संख्या 4737/77-4-21-88एन०/21, दिनांक 26 अगस्त, 2021 के प्रस्तर-1(4) में "श्री प्रशान्त" के स्थान पर "श्री समर्थ कुमार" पढ़ा जाय। उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 26 अगस्त, 2021 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

आज्ञा से,
अनिल कुमार,
संयुक्त सचिव।

चिकित्सा शिक्षा विभाग

अनुभाग-3

कार्यालय-ज्ञाप

26 जुलाई, 2021 ई०

सं० 794/71-3-2021—अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र सहायतित योजना (फेज-2) के अन्तर्गत जिला चिकित्सालय को उच्चिकृत कर स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, प्रतापगढ़ की स्थापना की गयी है। सम्यक् विचारोपरान्त स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, प्रतापगढ़ का नामकरण "डॉ० सोनेलाल पटेल

स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, प्रतापगढ़" तथा उससे सम्बद्ध चिकित्सालय का नामकरण "राजा प्रताप बहादुर चिकित्सालय, प्रतापगढ़" किये जाने का निर्णय लिया गया है।

कृपया तदनुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

29 जुलाई, 2021 ई०

फाइल सं० 71-3099/147/2020-03—अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त केन्द्र सहायतित योजना Establishment of New Medical colleges Attached with Existing District/Referral Hospitals (फेज-2) के अन्तर्गत स्वीकृत स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, मीरजापुर का नामकरण "माँ विन्ध्यवासिनी स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, मीरजापुर" एवं स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, गाजीपुर का नामकरण "महर्षि विश्वामित्र स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, गाजीपुर" किये जाने का निर्णय लिया गया है।

कृपया तदनुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

आज्ञा से,
आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव।

विधान परिषद् सचिवालय, उत्तर प्रदेश

स्थायीकरण

06 अगस्त, 2021 ई०

सं० 2449/वि०प०-56/95 अधि०—उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय में उपसचिव के पद पर स्थायी श्री जय चन्द्र मौर्य को संयुक्त सचिव के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-13 (1,23,100-2,15,900) में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय, सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2019 के 33(4) के अन्तर्गत विधान परिषद् सचिवालय में संयुक्त सचिव एवं उससे उच्च पद पर की गयी निरन्तर सेवा को संगणित करते हुये स्थायीकरण समिति की संस्तुति एवं माननीय सभापति, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश के आदेशानुसार संयुक्त सचिव के पद पर स्थायी किया जाता है।

सं० 2450/वि०प०-56/95 अधि०—उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय में अनुसचिव एवं समिति अधिकारी तथा अनुसचिव के पद पर स्थायी निम्न कार्मिकों को उपसचिव के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-12 (78,800-2,09,200) में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय, सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2019 के 33(4) के अन्तर्गत विधान परिषद् सचिवालय में उपसचिव एवं उससे उच्च पद पर की गयी निरन्तर सेवा को संगणित करते हुये स्थायीकरण समिति की संस्तुति एवं माननीय सभापति, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश के आदेशानुसार उपसचिव के पद पर स्थायी किया जाता है :

1—श्री विनय कुमार सिंह,

2—श्री राजेश सिंह।

आज्ञा से,
डा० राजेश सिंह,
प्रमुख सचिव।

लोक निर्माण विभाग

अनुभाग-3

कार्यालय-ज्ञाप

05 अगस्त, 2021 ई०

सं० 77/2021/3148/23-3-2021-9(ई०एस०)/2021—उत्तर प्रदेश, लोक निर्माण विभाग में मुख्य अभियन्ता स्तर-1 (सिविल) के पद पर कार्यरत श्री अरविन्द कुमार श्रीवास्तव को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रमुख

अभियन्ता, वेतनमान रु० 67,000-79,000 (पे मैट्रिक्स लेवल-15) में नियमित पदोन्नति करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2-श्री अरविन्द कुमार श्रीवास्तव, प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग के पद का कार्यभार ग्रहण कर योगदान आख्या शासन को प्रस्तुत करेंगे।

सं० 78/2021/3149/23-3-2021-21ई०एस०/2020-उत्तर प्रदेश, लोक निर्माण विभाग में अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के पद पर कार्यरत श्री राजीव कुमार को मुख्य अभियन्ता स्तर-2 (सिविल), वेतनमान रु० 37,400-67,000, ग्रेड वेतन रु० 8,900 (पे मैट्रिक्स लेवल 13-क) के पद पर उनके कनिष्ठ श्री लालजी साहू की मुख्य अभियन्ता स्तर-2 (सिविल) के पद पर पदोन्नति की तिथि 30 जून, 2021 से नोशनल प्रोन्नति तथा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वास्तविक/नियमित पदोन्नति करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2-श्री राजीव कुमार, प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग कार्यालय में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे तथा अग्रिम आदेशों तक पूर्व में आवंटित कार्य करते रहेंगे।

आज्ञा से,
प्रभुनाथ,
विशेष सचिव।

अनुभाग-8

स्थानान्तरण/तैनाती

10 अगस्त, 2021 ई०

सं० 1431/23-8-2021-59(पीडब्ल्यू)अधि/20-तात्कालिक प्रभाव से अधोलिखित तालिका के स्तम्भ-2 में अंकित अधिशासी अभियन्ता (सिविल) को स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती स्थान से स्थानान्तरित करते हुये स्तम्भ-4 में अंकित स्थान/खण्ड में एतद्द्वारा तैनात किया जाता है-

क्रमांक	अधिशासी अभियन्ता का नाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री नरेन्द्र कुमार वर्मा	अनुरक्षण खण्ड-2 (सिविल), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ	अनुरक्षण खण्ड-2 (सिविल), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ (यथावत्)	शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1244(11)/23-8-2021-59 (पीडब्ल्यू) अधि/20, दिनांक 15 जुलाई, 2021 के द्वारा निर्माण खण्ड (भवन), लोक निर्माण विभाग, वाराणसी में किये गये स्थानान्तरण आदेश को निरस्त करते हुये यथावत्।
2	श्री भगवान दास	निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग, कानपुर देहात	निर्माण खण्ड (भवन), लोक निर्माण विभाग, वाराणसी	जनहित में।

आज्ञा से,
डॉ० चन्द्र भूषण,
विशेष सचिव।

कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग

अनुभाग-1

प्रोन्नति

13 अगस्त, 2021 ई०

सं० 1081/22-1-2021-107/99-कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग में वेतन बैंड-3, रु० 15,600-39,100, ग्रेड वेतन रु० 6,600 (यथासंशोधित पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-11) में कार्यरत निम्नलिखित वरिष्ठ अधीक्षक, कारागार, ग्रेड-1 को उनके वर्तमान तैनाती के स्थान पर ही कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वरिष्ठ अधीक्षक, कारागार, ग्रेड-2 वेतन बैंड-3, रु० 15,600-39,100, ग्रेड वेतन रु० 7,600 (यथासंशोधित पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-12) में प्रोन्नति प्रदान करने की राज्यपाल महोदया एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :

क्र०सं०	नाम
1	श्री विनोद कुमार सिंह
2	श्री प्रेमनाथ पाण्डेय
3	श्री रामधनी
4	श्री राधाकृष्ण मिश्र

आज्ञा से,
अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव।

राज्य कर विभाग

अनुभाग-1

प्रोन्नति

29 जुलाई, 2021 ई०

सं० राज्य कर-1-840/11-2021-08/2021-वाणिज्य कर विभाग के निम्नलिखित असिस्टेंट कमिश्नर को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वेतनमान रु० 15,600-39,100, ग्रेड पे रु० 6,600 (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-11) के पद पर एतद्द्वारा पदोन्नति प्रदान की जाती है। इनके डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर के पद पर तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे :

क्र० सं०	ज्येष्ठता क्रमांक	अधिकारी का नाम
1	2	3
1	1932	श्री राम लखन-II
2	2355	श्री जितेन्द्र आर्या
3	2389	श्री विजय सिंह बिसेन
4	2404	श्री अनूप कुमार पाण्डेय
5	2439	श्री रईस अहमद
6	2445	श्री सुजीत यादव
7	2446	सुश्री रितू सिंह

1	2	3
8	2447	सुश्री सपना गुप्ता
9	2449	श्री महेश चन्द्र-III
10	2450	सुश्री अर्चना यादव
11	2451	श्री कवीन्द्र सिंह यादव
12	2453	श्री अरुण कुमार सिंह-V
13	2455	श्री संजय कुमार-V
14	2457	श्री रन्ति देव सिंह
15	2458	सुश्री कनक तिवारी
16	2459	सुश्री प्रतिभा
17	2461	श्री लल्लन प्रसाद यादव
18	2462	श्री सुभाष चन्द्र यादव

03 अगस्त, 2021 ई०

प्रोन्नति

सं० राज्य कर-1-873/11-2021-07/2021-वाणिज्य कर विभाग के निम्नलिखित डिप्टी कमिश्नर को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वेतनमान रु० 15,600-39,100, ग्रेड पे रु० 7,600 (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-12) के पद पर एतद्वारा पदोन्नति प्रदान की जाती है। इनके तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे :

क्र० सं०	ज्येष्ठता क्रमांक	अधिकारी का नाम
1	2	3
1	1875	श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह
2	1876	सुश्री आरती कुमारी
3	1878	सुश्री प्रीति शर्मा-I

सं० राज्य कर-1-871/11-2021-06/2021-वाणिज्य कर विभाग के निम्नलिखित ज्वाइन्ट कमिश्नर को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वेतनमान रु० 37,400-67,000, ग्रेड पे रु० 8,700 (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-13) के पद पर एतद्वारा पदोन्नति प्रदान की जाती है। इनके तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे :

क्र० सं०	ज्येष्ठता क्रमांक	अधिकारी का नाम
1	2	3
1	1409	श्री सर्वजीत
2	1410	श्री सोने लाल दोहरे
3	1413	श्री हंस कुमार

सं० राज्य कर-1-872/11-2021-08/2021-वाणिज्य कर विभाग के निम्नलिखित असिस्टेन्ट कमिश्नर को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वेतनमान रु० 15,600-39,100, ग्रेड पे रु० 6,600 (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-11) के पद पर एतद्द्वारा पदोन्नति प्रदान की जाती है। इनके तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे :

क्र० सं०	ज्येष्ठता क्रमांक	अधिकारी का नाम
1	2	3
1	2463	श्री अरुणेश कुमार यादव
2	2465	श्री योगेश कुमार मौर्य

आज्ञा से,
संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव।

10 अगस्त, 2021 ई०

प्रोन्नति

सं० राज्य कर-1-869/11-2021-13/2020-वाणिज्य कर विभाग की श्रीमती गीता सिंह, एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वेतनमान रु० 37,400-67,000, ग्रेड पे रु० 8,900 (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल 13-क) के पद पर शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या राज्य कर-1-838/11-2021-13/2020, दिनांक 29 जुलाई, 2021 द्वारा पदोन्नति प्रदान की गयी है।

2-तद्क्रम में श्रीमती गीता सिंह, नवपदोन्नत एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर को आयुक्त, वाणिज्य कर के कार्यालय से एतद्द्वारा सम्बद्ध किया जाता है।

आज्ञा से,
सर्वज्ञ राम मिश्र,
विशेष सचिव।

सं० राज्य कर-1-907/11-2021-07/2021-वाणिज्य कर विभाग के निम्नलिखित डिप्टी कमिश्नर को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वेतनमान रु० 15,600-39,100, ग्रेड पे रु० 7,600 (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-12) के पद पर एतद्द्वारा पदोन्नति प्रदान की जाती है। इनके तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे :

क्र० सं०	ज्येष्ठता क्रमांक	अधिकारी का नाम
1	2	3
1	1879	श्रीमती रश्मि श्रीवास्तव
2	1882	श्री विपुल सिंघल
3	1883	श्री मो० इलियास

सं० राज्य कर-1-908/11-2021-08/2021-वाणिज्य कर विभाग के निम्नलिखित असिस्टेन्ट कमिश्नर को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वेतनमान रु० 15,600-39,100, ग्रेड पे रु० 6,600 (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-11) के पद पर एतद्द्वारा पदोन्नति प्रदान की जाती है। इनके तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे :

क्र० सं०	ज्येष्ठता क्रमांक	अधिकारी का नाम
1	2	3
1	2467	श्री विपिन कुमार नाग
2	2468	श्री जितेन्द्र कुमार-V
3	2469	श्री बिपिन कुमार

आज्ञा से,
संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव।

सहकारिता विभाग

अनुभाग-2

नियुक्ति

09 अगस्त, 2021 ई०

सं० 593/49-2-2021-147(5)/2016—महामहिम राज्यपाल महोदया, उ०प्र० सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य चयन/दिव्यांगजन विशेष चयन) परीक्षा, 2018 के आधार पर लोक सेवा आयोग, उ०प्र०, प्रयागराज द्वारा सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, सहकारिता, उ०प्र० के पद के लिये चयनित तथा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री हर्ष कुमार (वर्तमान में नायब तहसीलदार, कार्यालय जनपद रामपुर) को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-6 में उल्लिखित पद पर सादृश्य वेतन बैंड/वेतनमान रु० 15,600-39,100 एवं सादृश्य ग्रेड वेतन रु० 5,400 (सातवें वेतनमान/पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-10) में अस्थायी नियुक्ति हेतु सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

क्र०	अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	स्थायी पता	नियुक्ति का पद/स्थान
1	2	3	4	5	6
01	495098	श्री हर्ष कुमार	श्री नरेन्द्र कुमार	मकान नं० 189, ग्राम- कमालपुर, पोस्ट मन्दावर, जनपद बिजनौर, उ०प्र०, पिन- 246721, मो०नं०-9560308372	सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, सहकारिता कार्यालय, आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, लखनऊ (मुख्यालय)।

2—उपरोक्त अभ्यर्थी उ०प्र० सहकारी सेवानियमावली, 1979 के नियम 22(1) के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिये परीक्षा पर रखे जायेंगे।

3—जब उक्त अभ्यर्थी निर्धारित प्रशिक्षण एवं सहकारिता विभाग के कार्यों की व्यावहारिक जानकारी प्राप्त कर लेंगे, तभी उन्हें भविष्य में सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक के पद पर स्वतन्त्र प्रभार यथासमय दिये जाने पर विचार किया जायेगा।

4—उक्त अभ्यर्थी की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

5—उपरोक्त अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वह नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अपनी सम्पत्ति से सम्बन्धित घोषणा-पत्र, एक से अधिक जीवित पत्नी न होने का घोषणा-पत्र व अन्य अभिलेख आदि लेकर आयुक्त एवं निबन्धक सहकारिता, उ०प्र०, लखनऊ के समक्ष योगदान करने हेतु तत्काल उपस्थित हों तथा कार्यभार ग्रहण प्रमाणक की प्रति शासन को तत्काल आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ०प्र० के माध्यम से उपलब्ध करायें।

6—उपर्युक्त अभ्यर्थी को यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि वह 15 दिन के अन्दर निर्देशित स्थान पर उपस्थित नहीं होते अथवा उनसे इस सम्बन्ध में समुचित कारण सहित प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं होता है, तो यह माना जायेगा कि वे उक्त पद पर कार्य करने के इच्छुक नहीं हैं और तदनुसार उनका उक्त पद पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

7-भविष्य में चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन आदि में कोई अन्यथा तथ्य प्रकाश में आने पर उनकी सेवा बिना किसी सूचना के तात्कालिक प्रभाव से समाप्त कर दी जायेगी तथा इस हेतु क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी एवं इनके विरुद्ध इस हेतु विधिक कार्यवाही भी सम्पादित की जायेगी।

यदि श्री हर्ष कुमार की पूर्व सेवा नायब तहसीलदार, जनपद रामपुर से इनके विरुद्ध कोई प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त होती है तो उस दशा में राज्य सरकार द्वारा लिया गया निर्णय उन्हें मान्य होगा।

8-उपर्युक्त अभ्यर्थी को यह भी निर्देशित किया जाता है कि सहकारिता विभाग में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अपने मूल विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर उसे प्रस्तुत करते हुये सहकारिता विभाग में कार्यभार ग्रहण किया जायेगा तथा वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 की गोपनीय प्रविष्टियां विभाग को प्रस्तुत की जायेंगी। यदि इनके विरुद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो तत्काल प्रभाव से इनका अभ्यर्थन/नियुक्ति निरस्त करने के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

सं0 594/49-2-2021-147(5)/2016-महामहिम राज्यपाल महोदया, उ0प्र0 सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य चयन/दिव्यांगजन विशेष चयन) परीक्षा, 2018 के आधार पर लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0 के पद के लिये चयनित तथा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री नीरज कुमार (वर्तमान में नायब तहसीलदार, कार्यालय जनपद वाराणसी) को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-6 में उल्लिखित पद पर सादृश्य वेतन बैण्ड/वेतनमान रु0 15,600-39,100 एवं सादृश्य ग्रेड वेतन रु0 5,400 (सातवें वेतनमान/पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-10) में अस्थायी नियुक्ति हेतु सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

क्र0	अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	स्थायी पता	नियुक्ति का पद/स्थान
1	2	3	4	5	6
01	010435	श्री नीरज कुमार	श्री रामराज राम	हरिकेश बहादुर चकखिजीर, पो0 बहरियाबाद, जिला गाजीपुर-275208, मो0नं0-8868936117	सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, सहकारिता कार्यालय, आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, लखनऊ (मुख्यालय)।

2-उपरोक्त अभ्यर्थी उ0प्र0 सहकारी सेवानियमावली, 1979 के नियम 22(1) के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिये परीक्षा पर रखे जायेंगे।

3-जब उक्त अभ्यर्थी निर्धारित प्रशिक्षण एवं सहकारिता विभाग के कार्यों की व्यवहारिक जानकारी प्राप्त कर लेंगे, तभी उन्हें भविष्य में सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक के पद पर स्वतन्त्र प्रभार यथासमय दिये जाने पर विचार किया जायेगा।

4-उक्त अभ्यर्थी की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

5-उपरोक्त अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वह नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अपनी सम्पत्ति से सम्बन्धित घोषणा-पत्र, एक से अधिक जीवित पत्नी न होने का घोषणा-पत्र व अन्य अभिलेख आदि लेकर आयुक्त एवं निबन्धक सहकारिता, उ0प्र0, लखनऊ के समक्ष योगदान करने हेतु तत्काल उपस्थित हों तथा कार्यभार ग्रहण प्रमाणक की प्रति शासन को तत्काल आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0 के माध्यम से उपलब्ध करायें।

6—उपर्युक्त अभ्यर्थी को यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि वह 15 दिन के अन्दर निर्देशित स्थान पर उपस्थित नहीं होते अथवा उनसे इस सम्बन्ध में समुचित कारण सहित प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं होता है, तो यह माना जायेगा कि वे उक्त पद पर कार्य करने के इच्छुक नहीं हैं और तदनुसार उनका उक्त पद पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

7—भविष्य में चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन आदि में कोई अन्यथा तथ्य प्रकाश में आने पर उनकी सेवा बिना किसी सूचना के तात्कालिक प्रभाव से समाप्त कर दी जायेगी तथा इस हेतु क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी एवं इनके विरुद्ध इस हेतु विधिक कार्यवाही भी सम्पादित की जायेगी।

यदि श्री नीरज कुमार की पूर्व सेवा नायब तहसीलदार, वाराणसी से इनके विरुद्ध कोई प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त होती है तो उस दशा में राज्य सरकार द्वारा लिया गया निर्णय उन्हें मान्य होगा।

8—उपर्युक्त अभ्यर्थी को यह भी निर्देशित किया जाता है कि सहकारिता विभाग में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अपने मूल विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर उसे प्रस्तुत करते हुये सहकारिता विभाग में कार्यभार ग्रहण किया जायेगा तथा वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 की गोपनीय प्रविष्टियां विभाग को प्रस्तुत की जायेंगी। यदि इनके विरुद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो तत्काल प्रभाव से इनका अभ्यर्थन/नियुक्ति निरस्त करने के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

आज्ञा से,
बी०एल० मीणा,
प्रमुख सचिव।

कृषि विभाग

अनुभाग-1

पदोन्नति

13 अगस्त, 2021 ई०

सं० 1616/12-1-2021-110/19—उ०प्र० कृषि सेवा (समूह-क पद) के उप कृषि निदेशक स्तर के श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह को चयन समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संयुक्त कृषि निदेशक स्तर (वेतनमान रु० 15,600-39,100, ग्रेड पे रु० 7,600 मैट्रिक्स लेवल-12) के पदों पर पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2—उक्त पदोन्नति मा० उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 20764/2019, अशोक कुमार सिंह बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य तथा मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या 19564(एस०एस०)/2019, आनन्द कुमार त्रिपाठी व सुनील कुमार अग्निहोत्री बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 21053(एस०एस०)/2019, इन्द्रदेव सिंह यादव बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 22815(ए०एस०)/2019, डा० अशोक तिवारी बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य एवं समान विषय पर योजित अन्य रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अग्रिम निर्णय के अधीन होगी।

श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह की तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

सं० 1633/12-1-2021-112/20—श्री पीयूष कुमार शर्मा, अपर कृषि निदेशक (उ०प्र० कृषि सेवा समूह-क पद) को चयन समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से कृषि निदेशक स्तर (वेतनमान रु० 37,400-67,000, ग्रेड पे रु० 10,000 मैट्रिक्स लेवल-14) के पद पर पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2—उक्त पदोन्नति मा० उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 20764/2019, अशोक कुमार सिंह बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य तथा मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या 19564(एस०एस०)/2019, आनन्द कुमार त्रिपाठी व सुनील कुमार अग्निहोत्री बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 21053(एस०एस०)/2019, इन्द्रदेव सिंह यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 22815(एस०एस०)/2019, डा० अशोक तिवारी बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 19424(एस०एस०)/2020, डा० पंकज त्रिपाठी बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 19 जनवरी, 2021 के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा योजित विशेष अपील संख्या 205/21, राज्य सरकार व अन्य बनाम डा० पंकज त्रिपाठी व अन्य में पारित आदेश एवं समान विषय पर योजित अन्य रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अग्रिम निर्णय के अधीन होगी।

श्री पीयूष कुमार शर्मा की तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,
डा० देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव।

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग

अनुभाग-8

अधिसूचना

09 अगस्त, 2021 ई०

सं० 1381/आठ-8-2021-70 एल०यू०सी०/2018—चूंकि, राज्य सरकार मुजफ्फरनगर विकास क्षेत्र के अन्तर्गत मुजफ्फरनगर महायोजना-2021 में संशोधन करने के सम्बन्ध में आपत्तियां एवं सुझाव प्राप्त करने की सूचना दैनिक समाचार-पत्र "अमर उजाला" व "दैनिक जागरण" के संस्करण में दिनांक 16 दिसम्बर, 2018 को प्रकाशित करायी गयी थी,

और चूंकि उपर्युक्त सूचना में विनिर्दिष्ट समय के अन्दर जन सामान्य से कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राधिकरण में प्रस्तुत नहीं किये गये, अतः प्रकरण में कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त न होने की स्थिति में समिति के गठन का कोई औचित्य नहीं पाया गया।

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमित), 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, सन् 1974) द्वारा परिष्कारों सहित यथा पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11, सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, श्री राज्यपाल, मुजफ्फरनगर महायोजना, 2021 में अधोलिखित अनुसूची में उल्लिखित गाटा संख्या को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के प्रयोजनार्थ उनके सम्मुख अंकित भू-उपयोग हेतु निम्नानुसार संशोधन करने की अनुमति प्रदान करते हैं—

अनुसूची

क्र० सं०	ग्राम का नाम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	मुजफ्फरनगर महायोजना-2021 के अनुसार भू-उपयोग	प्रस्तावित भू-उपयोग
			हेक्टेयर		
1	मुस्तफाबाद	587	0.3590	सड़क	आवासीय
2	मुस्तफाबाद	591	0.5630	सड़क	आवासीय
		कुल क्षेत्रफल . .	0.9220		

आज्ञा से,
दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव।

ग्राम्य विकास विभाग

अनुभाग-1

पदोन्नति

29 जून, 2021 ई०

सं० R-365/38-1-2021-1 पदोन्नति/2016-उ०प्र० प्रादेशिक विकास सेवा संवर्ग में पे मैट्रिक्स लेवल-11 (रु० 67,700-2,08,700) में कार्यरत श्री राजेन्द्र प्रसाद, जिला विकास अधिकारी, हरदोई को उनसे कनिष्ठ श्री वेद प्रकाश मौर्य की प्रोन्नति तिथि 22 अक्टूबर, 2020 से संयुक्त विकास आयुक्त/मुख्य विकास अधिकारी/वरिष्ठ उपायुक्त/संयुक्त मिशन निदेशक/संयुक्त आयुक्त पे मैट्रिक्स लेवल-12 (रु० 78,800-2,09,200) के पद पर नोशनल (प्राक्कल्पित) रूप से नियमित पदोन्नति के आदेश श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं।

2-उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे। इस बीच श्री राजेन्द्र प्रसाद अपने वर्तमान पदीय दायित्वों एवं कतव्यों का निर्वहन करते रहेंगे।

आज्ञा से,
मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 25 सितम्बर, 2021 ई० (आश्विन 3, 1943 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की अधिसूचना

04 सितम्बर, 2021 ई०

सं० 966/(भू०अ०)/न०म०पा०-प्रथम/लखनऊ— भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन कलेक्टर लखनऊ की राय है, कि लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अमर शहीदपथ से चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट को जोड़ने वाले वैकल्पिक एलीवेटेड फ्लाई ओवर मार्ग के निर्माण हेतु जिला लखनऊ में कानपुर रोड योजना के अन्तर्गत मानसरोवर योजना सेक्टर ओ० की 944.50 वर्गमीटर भूमि की अत्यावश्यकता है।

2—परियोजना हेतु प्रस्तावित भूमि के अर्जन में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के प्रावधान लागू होंगे।

3—प्रस्तावित भूमि के अर्जन में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 लागू किये जाने के कारण अधिनियम की धारा 9 में दी गई छूट के अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता नहीं होगी, जैसा कि अधिनियम की धारा 40 उपधारा 4 में वर्णित है।

5—भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।

6-अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते हैं :

अनुसूची

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड सं०	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
1	2	3	4	5	6
लखनऊ	लखनऊ	बिजनौर	कानपुर रोड योजना	सी-4 / 55	9.00
लखनऊ	लखनऊ	बिजनौर	के अन्तर्गत सेक्टर	सी-4 / 56	22.00
लखनऊ	लखनऊ	बिजनौर	ओ0 मानसरोवर	सी-4 / 57	30.00
लखनऊ	लखनऊ	बिजनौर	योजना	सी-4 / 58	37.50
लखनऊ	लखनऊ	बिजनौर		सी-4 / 64	200.00
लखनऊ	लखनऊ	बिजनौर		सी-4 / 72	130.00
लखनऊ	लखनऊ	बिजनौर		सी-4 / 73	200.00
लखनऊ	लखनऊ	बिजनौर		सी-4 / 97	196.00
लखनऊ	लखनऊ	बिजनौर		सी-4 / 98	120.00
योग . .					944.50

7-अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर को प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

8-प्रस्तावित भूमि के अर्जन में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 लागू किये जाने के कारण, अधिनियम की धारा 40 उपधारा 4 के अनुसार अध्याय 2 से अध्याय 6 के उपबन्ध लागू किया जाना अनिवार्य नहीं है।

9-अधिनियम की धारा 11 (4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का सव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी—उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा कलेक्टर, लखनऊ, 6, जगदीश चन्द्र बोस मार्ग, लालबाग, लखनऊ स्थित कार्यालय में देखा जा सकता है।

अभिषेक प्रकाश,
जिला कलेक्टर,
लखनऊ।



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 25 सितम्बर, 2021 ई० (आश्विन 3, 1943 शक संवत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, खण्ड-क-नगरपालिका परिषद्, खण्ड-ख-नगर पंचायत,
खण्ड-ग-निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड-घ-जिला पंचायत।

खण्ड-घ-जिला पंचायत

28 जुलाई, 2021 ई०

सं० 195/जि०पं०/2021-22-उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत, अधिनियम, 1961 (यथासंशोधित) की धारा 239 (1) एवं 239 (2) के साथ पठित अधिनियम की धारा 143 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके जिला पंचायत, बिजनौर ने जनपद बिजनौर के ग्रामीण क्षेत्र अन्तर्गत पर्यावरण के संतुलन को बनाये रखने के उद्देश्य से निम्न उपविधि बनायी जाती है। यह उपविधि शासकीय गजट में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी होगी।

परिभाषायें-

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथासंशोधित) से है।

(ख) "जिला पंचायत" का तात्पर्य जिला पंचायत, बिजनौर से है।

(ग) "अध्यक्ष" का तात्पर्य अध्यक्ष, जिला पंचायत, बिजनौर से है।

(घ) "ग्राम्य क्षेत्र" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 2(10) में परिभाषित बिजनौर जनपद के ग्राम्य क्षेत्र से है।

(ङ) "अपर मुख्य अधिकारी" का तात्पर्य जिला पंचायत, बिजनौर के अपर मुख्य अधिकारी से है।

(च) "सक्षम प्राधिकारी" का तात्पर्य अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, बिजनौर से है।

(छ) "सार्वजनिक सड़क" का तात्पर्य उस सड़क (पुल) सामान्य मार्ग, रास्ते या स्थान से है जिस पर होकर आने-जाने का जनसाधारण को विधि द्वारा प्रवर्तनीय अधिकार प्राप्त हो और जो सरकार या स्थानयी प्राधिकारी में निहित हो या उसके द्वारा अनुरक्षित हो :

[1] यह उपविधियां जिला पंचायत, बिजनौर के ग्राम्य क्षेत्रों से खोई, भूसी, मैली, बगास, कबाड़, गत्ता, लोहा व सरिया आदि का व्यापार करने एवं एकत्रित करने अथवा खोई, भूसी, मैली बगास, कबाड़, गत्ता, लोहा व सरिया आदि का व्यापारिक दृष्टि से अभिवहन करने तथा जनपद से बाहर ले जाने या संग्रह करने का वाहनों एवं पशु गाड़ियों आदि पर शुल्क आरोपित करने सम्बन्धी उपविधियां कहलायेंगी।

[2] यह उपविधियां ग्राम्य क्षेत्र में खोई, भूसी, मैली, बगास, कबाड़, गत्ता, लोहा व सरिया आदि का व्यापारिक दृष्टि से अभिवहन/एकत्रित करने वाले वाहनों के चालकों/मालिकों पर प्रभावी होगी।

[3] प्रत्येक व्यक्ति जनपद बिजनौर के ग्राम्य क्षेत्र में बिना सम्बन्धित विभाग की अनुमति के खोई, भूसी, मैली, बगास, कबाड़, गत्ता, लोहा व सरिया आदि का परिवहन नहीं करेगी, यदि वह ऐसा करती है, तो जिला पंचायत के सेवकों द्वारा इस प्रकार के व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धित विभाग को सूचित करना होगा।

[4] प्रत्येक व्यक्ति जनपद बिजनौर के ग्राम्य क्षेत्र में व्यापारिक दृष्टि से एकत्रित करता है या व्यापारिक दृष्टि से खोई, भूसी, मैली, बगास, कबाड़, गत्ता, लोहा व सरिया आदि का अभिवहन करता है तो उसे जिला पंचायत बिजनौर को निर्धारित शुल्क अदा करना पड़ेगा। शुल्क जिला पंचायत द्वारा निश्चित स्थल पर जिला पंचायत के सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्त/अधिकृत/निर्दिष्ट अधिकारी कर्मचारी अथवा इस निमित्त ठेकेदार को अदा करना होगा।

[5] यह शुल्क अन्य प्रदेश या जनपदों से जनपद बिजनौर में प्रवेश करने स्वयं गुजरने वाले वाहनों पर भी मान्य होगा।

[6] कोई भी व्यक्ति किसी भी वाहन पर परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक वजन की मात्रा में भरकर खोई, भूसी, मैली, बगास, कबाड़, गत्ता, लोहा व सरिया आदि का अभिवहन नहीं करेगा। सीमा से अधिक वजन के वाहनों को संचालन पर रोक लगाने हेतु जिला पंचायत के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा अग्रेत्तर कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

[7] खोई, भूसी, मैली, बगास, कबाड़, गत्ता, लोहा व सरिया आदि का अभिवहन करने के सन्दर्भ में अनुमति किये जाने हेतु वाहन चालक/वाहन मालिक में जिला पंचायत, बिजनौर द्वारा प्राप्त की जाने वाले अनुमति शुल्क की दरें निम्नानुसार होगी—

(1) ट्रक (06 टायर से अधिक)	250.00	प्रति फेरा
(2) ट्रक (06 टायर तक)	225.00	प्रति फेरा
(3) ट्रैक्टर ट्राली (02 टायर से अधिक)	200.00	प्रति फेरा
(4) ट्रैक्टर ट्राली (02 टायर वाली)	150.00	प्रति फेरा
(5) पशु गाड़ी	40.00	प्रति फेरा
(6) मिनी ट्रक	100.00	प्रति फेरा
(7) अन्य छोटे वाहन (उपरोक्त के अतिरिक्त)	400.00	प्रति फेरा

[8] जिला पंचायत, बिजनौर अनुमति शुल्क की वसूली हेतु ठेकेदारी भी नियुक्त कर सकती है जिसकी अवधि प्रति वर्ष 01 अप्रैल से आगामी वर्ष के 31 मार्च तक होगी। जिला पंचायत उक्त कार्य को एक वर्ष अथवा तीन वित्तीय वर्ष हेतु सार्वजनिक नीलामी द्वारा ठेकेदार के माध्यम से ठेके पर देकर करा सकती है। ठेका की अवधि को बढ़ाया जाना अथवा घटाया जाना अपर मुख्य अधिकारी को संस्तुति पर अध्यक्ष, जिला पंचायत बिजनौर के विवेक पर होगा। नीलामी तब तक अन्तिम नहीं होगी जब तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत न हो जाये।

[9] जिला पंचायत बिजनौर के अपर मुख्य अधिकारी या उसके प्राधिकृत अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार द्वारा अनुमति शुल्क प्राप्त करने के उपरान्त अदाकर्ता को मुद्रित क्रमांक हस्ताक्षर युक्त रसीद अनिवार्यत देगा।

[10] शुल्क की वसूली के कार्य को ठेके पर देने की स्थिति में अध्यक्ष जिला पंचायत बिजनौर द्वारा गठित नीलामी समिति द्वारा ठेका नीलामी द्वारा सार्वजनिक बोली द्वारा बोलकर दिया जायेगा। मिलकर बोली बोलने एवं उपयुक्त बोली न प्राप्त होने की दशा में नीलामी समिति द्वारा नीलामी स्थगित किया जायेगा।

[11] अपर मुख्य अधिकारी की संस्तुति पर अध्यक्ष, जिला पंचायत बिजनौर किसी भी समय ठेका दौरान इस उपविधियों का उल्लंघन करने पर ठेके को निलम्बित या रद्द कर सकती है और इस सन्दर्भ में होने वाली क्षति पूर्ति की वसूली सम्बन्धित ठेकेदार से की जायेगी।

[12] शुल्क वसूली का कार्य ठेके पर दिये जाने की स्थिति में ठेकेदार द्वारा जारी की जाने वाली रसीदों की रसीद बही जिला पंचायत बिजनौर के किसी भी अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर दिखाना होगा ठेकेदार

निर्धारित शुल्क की दर से ही शुल्क वसूल करेगा और शुल्क अदाकर्ता के पक्ष में रसीद जारी करेगा और भरी हुई रसीद बही प्रतिपणों सहित कार्बन कापर को कार्यालय जिला पंचायत में जमा करना होगा।

[13] शुल्क वसूली के कार्य में प्रयुक्त होने वाली रसीद बहियां ठेकेदार द्वारा अपने व्यय पर तैयार करानी होगी तथा अपर मुख्य अधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी करने के उपरान्त ही प्रयोग में लाई जायेगी।

[14] इन उपविधियों के अनुसार खोई, भूसी, मैली, बगास, कबाड़, गत्ता, लोहा व सरिया आदि का अभिवहन के समय वाहन मालिक/चालक द्वारा शुल्क न देने या जांच के समय प्रमाण स्वरूप देय शुल्क की रसीद न दिखाने पर ऐसा समझा जायेगा कि नियम शुल्क को अदायगी नहीं की गयी है ऐसा प्रमाणित होने पर अभिवहन किये जा रहे खोई, भूसी, मैली, बगास, कबाड़, गत्ता, लोहा व सरिया आदि को जिला पंचायत बिजनौर द्वारा नियुक्त/निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा जब्त कर लिया जायेगा।

[15] बार-बार उल्लंघन की स्थिति में वाहन चालक/मालिक के विरुद्ध क्षतिपूर्ति हेतु माननीय न्यायालय में नियमानुसार वाद योजित किया जायेगा। वाद व्यय वाहन चालक/मालिक को अदा करना होगा तथा वाद की स्थिति में निर्धारित शुल्क के साथ 50 प्रतिशत विलम्ब शुल्क एवं रुपये 80.00 समानिक शुल्क अलग से अदा करना होगा।

[16] यदि जब्त किये गये अधिकार में लिये गये खोई, भूसी, मैली, बगास, कबाड़, गत्ता, लोहा व सरिया आदि को अधिकार में लेने के 15 दिन के अन्दर सम्बन्धित द्वारा निर्धारित शुल्क अदा नहीं किया गया तो अधिकार में लिये गये खोई, भूसी, मैली, बगास, कबाड़, गत्ता, लोहा व सरिया आदि का आवश्यकतानुसार आंशिक रूप में पंचायत द्वारा विक्रय करके नियत शुल्क व अन्य व्यय पूर्ण रूप से किया जायेगा और शेष माल सम्बन्धित को अपर मुख्य अधिकारी या निर्दिष्ट अधिकारी के द्वारा खोई, भूसी, मैली, बगास, कबाड़, गत्ता, लोहा व सरिया आदि की वापसी के लिये प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के आधार पर वापस कर दिया जायेगा।

[17] यदि उपविधि संख्या 14 के अनुसार अधिकार में लिये गये माल के शुल्क के बराबर अंश को बेच देने पर वाहन मालिक/चालक अपने अवशेष माल को लेने के लिये 15 दिन के अन्दर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो जिला पंचायत उक्त अवशेष माल का निस्तारण सार्वजनिक बोली द्वारा विक्रय करके कर दिया जायेगा और प्राप्त धनराशि जिला निधि में जमा कर दी जायेगी।

[18] उपविधियों के अनुसार शुल्क वसूली का कार्य ठेके पर दिये जाने के निर्णय की स्थिति में ठेके की एक वर्ष की पूर्ण धनराशि नकद कार्यालय जिला पंचायत में अग्रिम जमा करानी होगी।

[19] उपविधियों के अनुसार शुल्क वसूली का कार्य ठेके पर दिये जाने के निर्णय की स्थिति में अपर मुख्य अधिकारी की संस्तुति पर अध्यक्ष, जिला पंचायत बिजनौर समय, कात, परिस्थितियों के अनुसार शरायतें नियत कर कार्य ठेके पर दिये जाने की अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।

[20] ठेकेदार की ओर से बकाया धनराशि वाद के द्वारा वसूल किये जाने के अधिकार पर बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूल किये जाने का अधिकार जिला पंचायत का होगा।

[21] उपविधियों के अनुसार वसूली का कार्य ठेके पर दिये जाने की स्थिति में नीलामी स्वीकृत की सूचना के एक सप्ताह के अन्दर नीलामी क्रेता को अनुमन्य स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध-पत्र निष्पादित करना होगा। स्टाम्प पेपर के मूल्य के व्यय को वहन करने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित ठेकेदार का होगा।

[22] अनुबन्ध-पत्र निष्पादित करने की चूक की स्थिति में नीलामी का उल्लंघन माना जायेगा। ऐसी स्थिति सक्षम प्राधिकारी, अध्यक्ष जिला पंचायत बिजनौर को नीलामी निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

[23] अपर मुख्य अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध 15 दिन के भीतर अध्यक्ष, जिला पंचायत को अपील की जा सकती है। अध्यक्ष जिला पंचायत का निर्णय अन्तिम एवं बन्धनकारी होगा।

[24] केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा पारित अधिनियम की किसी भी धारा/नियम का उल्लंघन यदि होता है तो उस सीमा तक यह उपविधियां संशोधित मानी जायेगी।

दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथासंशोधित) की धारा 240 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला पंचायत, बिजनौर यह निर्देश देती है कि जो व्यक्ति इन उपविधियों का उल्लंघन करेगा वह अर्थ दण्ड से दण्डित होगा। जो रु० 1,000.00 (रुपये एक हजार मात्र) तक हो सकेगा और जब ऐसा उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त अर्थदण्ड से दण्डित किया जायेगा, जो प्रथम दोषी सिद्धि के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता रहा है रुपये 50.00 (रुपये पचास मात्र) तक हो सकेगा अथवा अर्थदण्ड का भुगतान न किया जाये तो कारावास के दण्ड से दण्डित किया जायेगा जो तीन मास तक का हो सकेगा।

ह० (अस्पष्ट),
आयुक्त,
मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद।



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 25 सितम्बर, 2021 ई० (आश्विन 3, 1943 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

कार्यालय, नगर पंचायत बबेरु (बाँदा)

20 अगस्त, 2021 ई०

सं० 1019/न०प०बबेरु/2021-22-नगरीय पंचायत बबेरु, नगरपालिका परिषद अधिनियम, 1916 (अधिनियम संख्या 2, सन् 1916) की धारा 298 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए अपनी सीमान्तर्गत चलने वाले वाहनों को नियंत्रित/विनियमित करने हेतु टैक्सी-टैम्पो/सवारी वाहन/भार वाहन स्टैण्ड उपविधि लागू करना चाहती है। जिसका बोर्ड द्वारा प्रस्ताव संख्या 76, दिनांक 31 जनवरी, 2019 द्वारा अनुमोदन किया जा चुका है। उक्त अधिनियम की धारा 301(1) के अपेक्षानुसार जनसामान्य के अवलोकनार्थ राज्य स्तरीय एवं जनपद स्तरीय प्रकाशित दो समाचार-पत्रों में पृथक्-पृथक् प्रकाशन कराकर आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये गये, किन्तु नियत समय में कोई आपत्तियां प्राप्त नहीं हुई हैं। तदुपरान्त नगर पंचायत बबेरु के प्रस्ताव संख्या 76, दिनांक 31 जनवरी, 2019 के तहत उपविधि का प्रकाशन राजकीय गजट में कराने के पश्चात् लागू किये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है।

प्रस्ताव

उ०प्र० नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 में वर्णित सूची के अन्तर्गत नियमावली में दी गयी नगर पंचायत के अनुसार नियंत्रित/विनियमित करने हेतु टैक्सी-टैम्पो/सवारी वाहन/भार वाहन स्टैण्ड शुल्क आरोपित उपविधियां।

टैक्सी-टैम्पो/सवारी गाड़ी/भार वाहन उपविधि

उपनियम का प्रारूप-

1-**शीर्षक**-यह उपविधि टैक्सी, टैम्पो आदि सवारी वाहन एवं भार वाहन स्टैण्ड शुल्क नगर पंचायत बबेरु कहलायेगी।

2-यह उपविधि उत्तर प्रदेश साधारण गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से नगर पंचायत बबेरु, जनपद बाँदा की सीमा में प्रभावी होगी।

3-**परिभाषायें**-विषय के प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस उपविधि में-

(19) नगर पंचायत से तात्पर्य नगर पंचायत बबेरु, जनपद बाँदा से है।

(20) नगर पंचायत की सीमाओं से तात्पर्य वर्तमान में निर्धारित टैक्सी, टैम्पो/सवारी वाहन स्टैण्ड के भविष्य में बढ़ने से निर्धारित है।

(21) "अधिशासी अधिकारी" से तात्पर्य नगर पंचायत बबेरु, जनपद बाँदा के अधिशासी अधिकारी से है।

(22) "अध्यक्ष" से तात्पर्य नगर पंचायत बबेरू, जनपद बांदा के अध्यक्ष से है तथा निर्वाचित अध्यक्ष के न होने की दशा में प्रभारी अधिकारी से है।

(23) "उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम" का तात्पर्य नगरपालिका अधिनियम, 1916 से है।

(24) "वाहनों का" तात्पर्य नगर पंचायत बबेरू, जनपद बांदा की सीमा से गुजरने वाले टैक्सी, टैम्पो/सवारी वाहन व माल लाने व ले जाने वाले वाहनों से है।

(25) "कर्मचारी का" तात्पर्य नगर पंचायत बबेरू, जनपद बांदा के संस्था से है।

(26) "सड़क-पटरियों का" तात्पर्य नगर पंचायत बबेरू, जनपद बांदा की सीमा के अन्तर्गत आने वाले भागों प्रान्तों से है।

(27) "टैक्सी, टैम्पो/सवारी वाहन स्थान" से तात्पर्य इस उपविधि के द्वारा निर्धारित स्टैण्ड/स्थल से होगा।

4—शुल्क का विवरण अधिरोपण संग्रह नगर पंचायत बबेरू, बांदा सीमा के अन्तर्गत स्टैण्ड टैम्पो, टैक्सी, मेटाडोर, जीप, पिकअप, फ़ैमिली कैब/मैक्सी कैब, भारी वाहन-बस, मिनी ट्रक, ट्रक भार वाहन अन्य डीजल या पेट्रोल से चलने वाले वाहनों जो सवारी उतारने व चढ़ाने एवं ठहरने वाले वाहनों को नियंत्रित करने हेतु उपविधि बनाई जाती है। जिन पर यह शुल्क लागू होंगे।

5—नगर पंचायत बबेरू, बांदा की सीमा से सवारी भरकर जाने वाले टैक्सी, टैम्पो/सवारी वाहन/भार वाहन जो रोड पटरी का प्रयोग करते हैं, को उपविधि में दर्शायी गई शुल्क नगर पंचायत बबेरू, बांदा के उस कर्मचारी को देय होगा जिसे इस कार्य हेतु नियुक्त किया गया है, यदि शुल्क की वसूली हेतु ठेका दिया गया हो तो देय धनराशि ठेकेदार को देय होगी।

6—टैक्सी, टैम्पो/सवारी वाहन/भार वाहन की रसीद प्राप्त करने वाले व्यक्ति नगर पंचायत बबेरू के अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी तथा कर्मचारी द्वारा मांगे जाने पर रसीद दिखाने के लिये बाध्य होगा एवं दिखलायेगा, जो जांचोपरान्त उसे विधिवत् वापस दी जायेगी।

7—नगर पंचायत बबेरू, अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी को पूर्ण अधिकार होगा कि कोई टैक्सी, टैम्पो/सवारी वाहन स्टैण्ड को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित करने, बैरियर हटाने परन्तु ऐलान करने के लिये उसे कम से कम 24 घण्टे पूर्व सूचना जारी करना होगा।

8—यदि कोई सवारी वाहन बिना शुल्क अदा किये नगर पंचायत बबेरू, जनपद बांदा की सीमा के अन्दर पाया गया, तो अधिशासी अधिकारी/प्रभारी अधिकारी/अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा अधिकृत जांच अधिकारी/कर्मचारी को यह अधिकार होगा कि वह उस व्यक्ति से निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त शुल्क कम से कम चार गुना और अधिक से अधिक बीस गुना दण्ड के रूप में धनराशि वसूल कर रसीद देगा।

9—यदि कोई वाहन बिना शुल्क अदा किये भाग जाने पर चालक का पूरा पता अथवा गाड़ी नम्बर, जो भी हो भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता मोटर व्हीकल ऐक्ट के तहत कानूनी कार्यवाही करने का अधिकारी होगा।

10—यदि नगर पंचायत बबेरू, जनपद बांदा चाहे तो टैक्सी, टैम्पो आदि/सवारी स्टैण्ड शुल्क की वसूली की वार्षिक अथवा पट्टा अभिलेख तक को ठेका दे सकता है। ऐसी स्थित में ठेकेदार निर्धारित दरों पर शुल्क वसूल कर रसीद नियमानुसार जारी करेगा तथा स्टैण्ड शुल्क की वसूली भू-राजस्व की भांति की जा सकेगी।

शुल्क से मुक्ति

11—निम्न वाहन टैक्सी, टैम्पो/सवारी स्टैण्ड शुल्क से मुक्त होंगे—

(7) डेडबाडी ले जाने वाले समस्त वाहन एवं एम्बुलेंस।

(8) सरकारी कर्मचारियों के स्थानान्तरण पर उनका घरेलू वाहन जो स्टैण्ड से होकर गुजरेंगे प्रतिबन्ध यह होगा कि सम्बन्धित विभाग द्वारा प्रमाण-पत्र दिया जायेगा।

(9) अन्य सरकारी वाहन (रोडवेज व अन्य वाहन) जो सरकारी ड्यूटी पर हों, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सम्बन्धित विभाग द्वारा प्रमाण-पत्र दिया जायेगा।

प्रतिबन्ध

11—अतर्क रोड से आने व जाने वाले वाहन टैम्पो, टैक्सी, मेटाडोर, जीप, पिकअप, फ़ैमिली कैब/मैक्सी कैब, भारी वाहन-बस, मिनी ट्रक, ट्रक भार वाहन के ठहरने का स्थान मुख्य चौराहे के पास तक।

12-बाँदा रोड से आने व जाने वाले वाहन टैम्पो, टैक्सी, मेटाडोर, जीप, पिकअप, फ़ैमली कैंब/मैक्सी कैंब, भारी वाहन-बस, मिनी ट्रक, ट्रक भार वाहन के ठहरने का स्थान मुख्य चौराहे के पास।

13-तिन्दवारी रोड से आने व जाने वाले वाहन टैम्पो, टैक्सी, मेटाडोर, जीप, पिकअप, फ़ैमली कैंब/मैक्सी कैंब, भारी वाहन-बस, मिनी ट्रक, ट्रक भार वाहन के ठहरने का स्थान नहर के पास।

14-औगासी रोड/मर्का रोड से आने व जाने वाले वाहन टैम्पो, टैक्सी, मेटाडोर, जीप, पिकअप, फ़ैमली कैंब/मैक्सी कैंब, भारी वाहन-बस, मिनी ट्रक, ट्रक भार वाहन के ठहरने का स्थान मुख्य चौराहे के पास।

15-कमासिन रोड/ओरन रोड से आने व जाने वाले वाहन टैम्पो, टैक्सी, मेटाडोर, जीप, पिकअप, फ़ैमली कैंब/मैक्सी कैंब, भारी वाहन-बस, मिनी ट्रक, ट्रक भार वाहन के ठहरने का स्थान ओरन रोड चौराहे के पास।

शुल्क का विवरण

नगर पंचायत बबेरू, स्टैण्ड एवं ठहरने वाले वाहनों से निम्न सारणी के अनुसार शुल्क वसूली करेगी-

क्र० सं०	वाहनों का प्रकार	दरें
1	2	3
		रु०
1	प्रत्येक मोटर, मोटर गाड़ी, बस, डीजल, पेट्रोल से चलने वाले भारी सवारी वाहन आदि	40.00 प्रति ट्रिप
2	मिनी बस	30.00 प्रति ट्रिप
3	टैक्सी, टैम्पो, तिपहिया, जिप्सी, टाटा सूमो, टाटा मैजिक, कैम्पर, पिकअप व मैक्सी कैंब, फ़ैमली कैंब व चार पहिया के अन्य वाहन	20.00 प्रति ट्रिप
4	ट्रक भार वाहन	100.00 प्रति ट्रिप
5	मिनी ट्रक/अन्य भार ढोने वाले वाहन	50.00 प्रति ट्रिप

विजय पाल सिंह,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत, बबेरू,
जनपद बांदा।

कार्यालय, नगर पंचायत घोरावल, सोनभद्र

23 सितम्बर, 2021 ई0

शुद्धि-पत्र

सं० 209/न०पं०/2020-21-सरकारी गजट उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित प्रयागराज, शनिवार 28 नवम्बर, 2020 ई0 (अग्रहायण 7, 1942 शक संवत्) भाग 8 के पृष्ठ संख्या 685 पर प्रकाशित नगर पंचायत घोरावल, सोनभद्र 06 अक्टूबर, 2020 ई0 लाईसेंसिंग शुल्क उपविधि, 2020 एवं भाग 8 के पृष्ठ संख्या 688 पर प्रकाशित गृहकर उपविधि, 2019 में त्रुटिवश यह प्रकाशित हो गया है कि "इस विज्ञप्ति के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 301 के प्रयोगार्थ प्रकाशित किया जाता है। इस उपविधि के उपनियम से जिस किसी को भी आपत्ति/सुझाव हो, विज्ञप्ति प्रकाशन की तिथि के 30 दिवस के अन्दर नगर पंचायत घोरावल को दे सकता है। निर्धारित तिथि के अन्दर कोई आपत्ति या सुझाव नहीं प्राप्त होने पर अन्तिम निर्णय पश्चात् सरकारी गजट में प्रकाशन हेतु प्रेषित कर दिया जायेगा। जो गजट प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।"

जबकि उक्त के स्थान पर "उक्त उपनियम का प्रकाशन दैनिक समाचार-पत्र दैनिक "हिन्दुस्तान" एवं दैनिक "अमर उजाला" के अंक दिनांक 24 अगस्त, 2020 को प्रकाशित किया जा चुका है। निर्धारित अवधि के अन्दर कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है। अन्तिम निर्णय के पश्चात् उक्त अधिनियम की धारा 301 के अन्तर्गत गजट में प्रकाशित किया जा रहा है और यह घोषित किया जा रहा है कि उक्त अधिनियम गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी समझी जायेगी।" शेष प्रकाशन यथावत् रहेगा।

ह० (अस्पष्ट),
अध्यक्ष,
नगर पंचायत घोरावल,
सोनभद्र।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के घर का नाम देवी शंकर सिंह पुत्र त्रिलोक नारायण सिंह है। प्रार्थी का यही नाम देवी शंकर सिंह पुत्र त्रिलोक नारायण सिंह L.I.C. के पालिसी में अंकित है जबकि प्रार्थी के शैक्षिक अभिलेखों तथा पैन कार्ड व आधार कार्ड में विशाल कुमार सिंह पुत्र त्रिलोक नारायण सिंह अंकित है। अतः दोनों ही नाम (विशाल कुमार सिंह उर्फ देवी शंकर सिंह) एक ही व्यक्ति का है। अतः भविष्य में प्रार्थी को विशाल कुमार सिंह पुत्र त्रिलोक नारायण सिंह के नाम से ही जाना व पहचाना जाये।

विशाल कुमार सिंह,
पुत्र त्रिलोक नारायण सिंह,
निवासी ग्राम हुल्का, पो0 ऊंचडीह बाजार,
तह0 मेजा, जनपद प्रयागराज, उ0प्र0।

सूचना

मैं राम स्वरूप अहिरवार पुत्र स्व0 चन्दीदीन स्थायी निवासी एस0 23 सूर्यपुरम् नन्दनपुरा नियर आवास विकास कालोनी झांसी (उ0प्र0) उ0म0रे0 झांसी में सहायक कार्यकारी अभियन्ता (निर्माण) के पद पर कार्यरत हूँ मेरी सेवा पुस्तिका में मेरा नाम राम स्वरूप चन्दीदीन अंकित है। जो कि त्रुटिपूर्ण है मेरा सही नाम रामस्वरूप अहिरवार है राम स्वरूप अहिरवार एवं रामस्वरूप चन्दीदीन दोनों नाम मेरे ही हैं। अतः मुझे रामस्वरूप अहिरवार के नाम से जाना लिखा एवं पढ़ा जाये।

रामस्वरूप अहिरवार,
पुत्र चन्दीदीन,
स्थायी निवासी एस 23 सूर्यपुरम नन्दनपुरा,
नियर आवास विकास कालोनी झांसी, उ0प्र0।

सूचना

सूचित किया जाता है भागीदारी फर्म मे0 मॉ वैष्णो फिलिंग स्टेशन, ग्राम वाहिदपुर माफी, परगना बिलराम, तहसील कासगंज, जिला कासगंज जिसमें श्रीमती हेमलता सिंह व श्री काली चरन भागीदार हैं के द्वारा दिनांक 14 सितम्बर, 2021 से उक्त फर्म का नाम परिवर्तन कर मे0 हमारा पम्प मॉ वैष्णो फिलिंग स्टेशन कर लिया है।

हेमलता सिंह,
भागीदार,
मे0 हमारा पम्प मॉ वैष्णो देवी,
फिलिंग स्टेशन, ग्राम वाहिदपुर माफी,
परगना बिलराम, तहसील कासगंज,
जिला कासगंज।

सूचना

सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मे0 उमा ग्लास वर्क्स, मोती का नगला 22, नियर इण्डस्ट्रियल एस्टेट, फिरोजाबाद के भागीदारों/विधान में परिवर्तन की सूचना देता हूँ—उक्त फर्म में श्री प्रमोद कुमार गर्ग पुत्र श्री रघुवीर शरन गर्ग एवं श्री विवेक गर्ग पुत्र श्री प्रमोद कुमार गर्ग, निवासीगण 5/19, लाजपत कुंज, फिरोजाबाद, दिनांक 01 अगस्त, 2021 से नये भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं। अब फर्म में श्री सुरेश चन्द अग्रवाल, श्री गौरव सिंघल, श्रीमती गुंजन सिंघल, श्री प्रमोद कुमार गर्ग एवं श्री विवेक गर्ग भागीदार हो गये हैं।

सुरेश चन्द अग्रवाल,
भागीदार,
मे0 उमा ग्लास वर्क्स,
मोती का नगला 22, नियर इण्डस्ट्रियल,
एस्टेट, फिरोजाबाद।

सूचना

सूचित किया जाता है कि फर्म मे0 हर्ष कंस्ट्रक्शन, पता—90, ख, एटा रोड-2, मुस्तफाबाद रोड तह0 शिकोहाबाद, जिला फिरोजाबाद में श्री दीपक खण्डेलवाल पुत्र श्री विजय कुमार खण्डेलवाल, निवासी—175-ए/20, कावेरी कुंज, फेस—2, कमला नगर, आगरा दिनांक 01 जुलाई, 2021 से नये भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं। अब फर्म में श्रीमती अरुणा यादव, श्री अभिषेक यादव तथा श्री दीपक खण्डेलवाल भागीदार हो गये हैं।

अरुणा यादव,
भागीदार,
मे0 हर्ष कंस्ट्रक्शन,
पता—90, ख, एटा रोड—2, मुस्तफाबाद रोड
तह0 शिकोहाबाद, जिला फिरोजाबाद।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिलेखों में मेरे पिता का नाम PARMOD KUMAR TRIPATHI अंकित हो गया है जो गलत है जबकि मेरे पिता का नाम PRAMOD KUMAR TRIPATHI है दोनों एक ही व्यक्ति है। भविष्य में मेरे समस्त अभिलेखों में मेरे पिता का शुद्ध नाम PRAMOD KUMAR TRIPATHI किया जाये व इसी नाम से ही जाना व पहचाना जाये।

अनुष्का त्रिपाठी,
29/20 पूरा ढाकू, कीडगंज, प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म, मेसर्स—श्री रामकृष्ण गैस सर्विस 31 एल0जी0एफ0, रीगल प्लाजा, सी0पी0-103, रिंग रोड, से0-16, इन्दिरा नगर, लखनऊ—226016, रजि0 सं0 201980 का पंजीकरण दिनांक 29 अक्टूबर, 2016 को कराया गया था एवं संशोधन दिनांक 04 मार्च, 2019 को कराया गया था उक्त

फर्म में निर्मला अवस्थी प्रथम एवं प्रभात कुमार अवस्थी द्वितीय एवं निखिल अवस्थी तृतीय साझेदार थे, जिसमें तृतीय साझेदार निखिल अवस्थी पुत्र प्रभात कुमार अवस्थी निवासी-537-बी एच ए/150 भारत नगर, सीतापुर रोड, लखनऊ साझेदारी फर्म से दिनांक 10 सितम्बर, 2021 से हट गये हैं। उक्त तिथि से पूर्व के तृतीय साझेदार का भविष्य में कोई लेना देना नहीं होगा। वर्तमान में उक्त फर्म में निर्मला अवस्थी प्रथम एवं प्रभात कुमार अवस्थी द्वितीय साझेदार के रूप में सम्मिलित हैं।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक रूप से औपचारिकताओं का पालन स्वयं मेरे द्वारा किया गया है।

निर्मला अवस्थी,

साझेदार,

मेसर्स श्री रामकृष्ण गैस सर्विस,

31 एल0जी0एफ0, रीगल प्लाजा, सी0पी0-103,
रिंग रोड, से0 16, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म, मेसर्स "आर0एस0 बिल्डर्स", 4/17, विराट खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ रजि0 नं0-196175 का पंजीकरण दिनांक 07 सितम्बर, 2012 को लखनऊ से कराया गया था तथा संशोधन 22 फरवरी, 2014 को कराया गया था उक्त फर्म में राम सुमिरन सिंह एवं जय प्रकाश सिंह साझेदार थे, जिसके प्रथम साझेदार राम सुमिरन सिंह पुत्र स्व0 राम अक्षयबर सिंह निवासी-4/17, विराट खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ का निधन दिनांक 04 अगस्त, 2021 को हो गया है, तथा उक्त तिथि से इनके स्थान पर निशा सिंह पत्नी स्व0 राम सुमिरन सिंह निवासी-1/660, विशाल खण्ड 1, गोमती नगर, लखनऊ को दिनांक 04 अगस्त, 2021 से शामिल कर लिया गया है। वर्तमान में उक्त फर्म में निशा सिंह प्रथम व जय प्रकाश सिंह द्वितीय साझेदार के रूप में सम्मिलित हैं।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक रूप से औपचारिकताओं का पालन स्वयं मेरे द्वारा किया गया है।

जय प्रकाश सिंह,

साझेदार,

मेसर्स-आर0एस0 बिल्डर्स,

4/17, विराट खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म, मेसर्स "स्नार फूड्स", 609 से 612, छठा पलोर, साइबर हाइट्स, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ, उ0प्र0 226010 रजि0 नं0 203751 का पंजीकरण दिनांक 21 नवम्बर, 2017 एवं संशोधन 18 मार्च, 2021 को कराया गया था जिसमें अरुण जैन प्रथम, संजय पंजवानी द्वितीय, राजीव पंजवानी तृतीय, नमित भारद्वाज चतुर्थ, रेनिश वाडिया पांचवे, निखिल कुमार छठे एवं जय पंजवानी सातवें साझेदार थे, जिसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पांचवे एवं छठे साझेदार के स्थान पर अमितेश पाण्डेय पुत्र सुनील कुमार पाण्डेय निवासी आनन्द सदन, बैंक आफ इण्डिया बिल्डिंग, मोहन लालगंज, लखनऊ एवं वरुल मयंक पुत्र संजय कुमार, निवासी 88 ए क्ले स्क्रायर, कबीर मार्ग, नियर योजना भवन, लखनऊ को दिनांक 31 मार्च, 2021 से शामिल कर लिया गया है। उक्त तिथि से पूर्व के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पांचवे एवं छठे साझेदारों का भविष्य में कोई लेना-देना नहीं होगा।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक रूप से औपचारिकताओं का पालन स्वयं मेरे द्वारा किया गया है।

जय पंजवानी,

साझेदार,

मेसर्स-"स्नार फूड्स"।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म, मेसर्स प्रदीप पलोर मिल, औद्योगिक क्षेत्र सीडा सतहरिया में प्लॉट नं0 एफ0 31 रोड नं0 6 पर स्थित है। फर्म उपरोक्त में (1) लालता प्रसाद मौर्य (2) प्रदीप कुमार मौर्य साझेदार हैं दोनों साझेदारों के आपसी सहमति से डीड दिनांक 01 सितम्बर, 2021 के अन्तर्गत विघटित कर दी गयी है।

साझेदार,

लालता प्रसाद मौर्य,

पुत्र दलसिंगार मौर्य,

ग्राम व पो0 सोहनी,

थाना गद्दी, केराकत, जौनपुर।